भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखति प्रश्न संख्या: 1630
सोमवार, 3 अगस्त 2026 (12 श्रावण, 1948, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और नो-फ्लाई ज़ोन का उल्लंघन

1630 **श्री शुभाशीष खुंटियाः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आस-पास बिना पायलट वाले विमानों के संचालन पर लगी पाबंदियों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में नियमों के उल्लंघन की किसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने ड्रोन नियमों का बेहतर ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या संरक्षित विरासत स्थलों के आस-पास नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए और भी उपाय प्रस्तावित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): सरकार ने ड्रोन नियम, 2021 के तहत हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों, संबंधित उल्लंघनों और प्रवर्तन का फ्रेमवर्क स्थापित किया है। ड्रोन नियम 2021 के नियम 19 के अनुसार, संपूर्ण भारतीय हवाई क्षेत्र को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में विभाजित किया गया है। नियम 22 में रेड और येलो जोन में ड्रोन के परिचालन के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ड्रोन नियम, 2021 के नियम 25 के अनुसार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को हवाई क्षेत्र समन्वय के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच प्रदान की गई है। नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया है, उन्हें मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क के संबंध में जागरूक बनाया है, टाइप-प्रमाणित ड्रोन और प्रमाणित रिमोट पायलटों के उपयोग के अनुपालन को बढ़ावा दिया है, सर्वोत्तम परिपाटियों का प्रसार किया है और नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से प्रभावी हवाई क्षेत्र समन्वय किया है। ड्रोन नियम, 2021 के नियम 49 के तहत हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों का उल्लंघन एक संज्ञेय और गैर-शमन योग्य अपराध है। उपर्युक्त नियम के कथित उल्लंघनों से संबंधित मामलों की सूचना संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार अनुरक्षित और कार्रवाई की जाती है।
